हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	मंगवाए उप0। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी खस0सं0 30 रकबा 9.7044 हैक्टे0 वाके ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा बून्दी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की भूमि है जो कि वैधानिक रूप से संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पारिवारिक बटवारा अनुसार मौका कब्जा कर काबिज होकर अपने अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। विधिवत तरमीम के अभाव में संयुक्त खातेदार की भूमि हिस्सा को अप्रार्थीगण बिना मौका तरमीम कराये एवं पृथक रूप से खातेदारी हिस्सा दर्ज कराये बेचान करने पर आमादा है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त पर कृषि कार्य हेतु बने रास्ते के मौका भूमि को अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकारिता के बेचने पर आमादा हो रहे है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है वाद वर्णित आराजी को अप्रार्थीगण निरन्तर अन्य व्यक्तियो को बेचान हेतु एवं रास्ते की भूमि को बेचकर रास्ते में बाधाकारित करने पर उतारू हो रहे है। वाद पत्र के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है तब तक अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द नही करने एवं अन्य व्यक्तियों को बेचान नही करने एवं अन्य व्यक्तियो के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन नही करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में सफल हो जाते है और बिना विधिक बटवारा भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो अनावश्यक कब्जे एवं रास्ते को लेकर सहखातेदारो के मध्य विवाद बढ़ेगा। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसलावाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करे कि अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी ख0सं0 30 रकबा 9.7044 हैक्टे0 वाके ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा बून्दी सवंत 2076 का विक्रय अन्य व्यक्तियो के पक्ष में पंजीयन नही करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य हेतु मौके पर बने आवागमन के रास्ते पर किसी प्रकार की रूकावट बाधा नही डाले। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2010 पेज नं0 96 '' सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, बिना विधिक बटवारा कराऐ सहखातेदार किसी विशिष्ट हिस्से का बेचान नही कर सकते'' पेश की। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने पारिवारिक बटवारा कब हुआ इसका अंकन प्रार्थना पत्र में नही किया गया। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 के संयुक्त हिस्से की भूमि है उक्त भूमि में मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का रास्ता आवागमन हेतु दर्ज नही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो एक दुसरे की भूमि में ही कृषि कार्य हेतु आवागमन करते चले आ रहे है प्रार्थीगण के द्वारा रास्ता बाबत कोई राजस्व रेकार्ड का नक्शा पेश नही किया गया है जितना हक व अधिकार प्रार्थीगण का है, उतना ही हक अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 को अपने हिस्से की भूमि को विक्रय एवं रहन करने का पुरा-पुरा अधिकार है प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण पर सिर्फ दबाव बनाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक बेचान का बिन्दु है कोई भी रेकार्डेड खातेदार अपने हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का विक्रय,रहन कर सकता है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण के हक व अधिकारो को

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने के संभावना नही है। प्रार्थीगण के केवल मात्र उक्त वाद/प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता की भूमि लेने चाहते है जो सरासर गलत है। प्रार्थीगण के पक्ष में वाद पत्र में जांच के लिए कोई सारवान प्रश्न अन्तर्निहित नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है यदि अप्रार्थीगण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार से विधिक एवं आर्थिक क्षति नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पडेगा। इसलिए उपरोक्त तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1978 पेज नं0 638–69, आरआरडी 1986 पेज नं. 749 '' No T.I. can be Issue in favour of a co-tenant against other co-tenant ''

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी का यह कथन की अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी को बेचान करने को आमादा है एवं वाद वर्णित आराजी में से सभी सहखातेदार कृषि हेतु आते जाते है यह तथ्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दु सं0 3 से प्रमाणित है। विवादित आराजी पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर विधिवत बटवारा नहीं हुआ है। यहॉ अप्रार्थीगण का यह कथन की सही है कि विवादित आराजी में कोई रेकार्डेड रास्ता नहीं है किन्तु अविभाजित भूमि में सहखातेदार आपसी सहमति से कृषि हेतु आते जाते है। सहखातेदार अपनी खातेदारी भूमि में प्रत्येक भू–भाग पर अपना हिस्सा रखता है एवं यदि सहखातेदारान् के मध्य विवाद है तो बिना विधिवत बटवारा बेचान से केता पक्ष के कब्जाकाश्त का विषय बनात है जो कि नये विवाद को जन्म देगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खाता सं. नया 364 पुरान 200 ख0 सं0 30 रकबा 9.7043 हेक्टे0 वाके ग्राम तालेडा की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पक्षकारान् आपस में कब्जा काश्त में दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना हीं अपने प्रतिनिधियो से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।